

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)



M - 791-II / 2011

- ज्ञानदत्त शुक्ला उम्र 73 वर्ष तनय श्री रामकुमार शुक्ला,  
2. श्री मणि शुक्ला, उम्र 70 वर्ष, तनय श्री रामकुमार शुक्ला,  
दोनों निवासी ग्राम लोहदवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला—रीवा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

## बनाम

1. शकुन्तला देवी विधवा पत्नी स्व. जगदीश प्रसाद शुक्ला,
  2. रामचरित तनय श्री रामकुमार शुक्ला,
  3. भैयालाल ब्रा. तनय श्री रामप्रताप ब्रा.,
  4. नित्यराघव शरण ब्रा. तनय श्री रामप्रताप ब्रा.,
  5. छेदीलाल तनय प्रभूनाथ प्रसाद,
  6. रामलाल तनय जगन्नाथ प्रसाद,
  7. मु. विद्यावती पत्नी राधिका प्रसाद,
  8. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ब्रा.,
  9. बृजकुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ब्रा.,
  10. रजनीश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ब्रा.,
  11. तीरथ प्रसाद पुत्र श्री जगदीश प्रसाद ब्रा.,
  12. शेषमणि पुत्र स्व. रामकिशोर ब्रा.,
  13. सत्यनारायण पुत्र स्व. रामकिशोर ब्रा.,
  14. शीतल प्रसाद पुत्र श्री राधिका यादव,
  15. शिवभान पुत्र श्री राधिका प्रसाद यादव,
- सभी निवासी ग्राम लोहदवार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला—रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

आवेदन—पत्र अंतर्गत धारा 32 सहपठित धारा 51 मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 ई. जो राजस्व मण्डल के प्र.क्र. R-651/III/2009 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2011 को निरस्त करके पुनः गुण—दोष पर सुनवाई हेतु।

— नवा ये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्रो-४-७९१-II/11

जिला—रीवा

ज्ञानदत्त शुक्ला / शकुन्तला देवी शुक्ला वगैरः

| (1)      | (2)   | (3) |
|----------|---|-----|
| 24.01.18 | <p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> |     |